बिहार सरकार
पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग
सं0सं0–पि0व0/छात्रवृत्ति–35–18/11–89

प्रेषक,

सरकार के सचिव।

सेवा में,

सभी जिला कल्याण पदाधिकारी।

पटना–15, दिनांक–17-1-13

विषयः– **अन्य पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत शिक्षण शुल्क/देय अनिवार्य शुल्क की राशि की अधिकतम सीमा निर्धारित करने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के दिशा–निर्देश के आलोक में वित्तीय वर्ष 2011–12 से अन्य पिछड़े वर्ग के छात्र/छात्राओं को प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति हेतु वार्षिक आय सीमा ₹ 44,500/– (रूपये चौआलिस हजार पाँच सौ) से बढ़ाकर ₹ 1,00,000/– (रूपये एक लाख) निर्धारित की गयी है।

अन्य पिछड़े वर्ग के छात्र/छात्राओं में उच्च शिक्षा के प्रति बढ़ते रूझान एवं वार्षिक आय सीमा में वृद्धि के फलस्वरूप विभिन्न शिक्षण संस्थाओं में 10+2 एवं ऊपर की कक्षाओं में अध्ययनरत अन्य पिछड़े वर्ग के छात्र/छात्राओं से प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति हेतु बड़ी संख्या में आवेदन–पत्र प्राप्त हो रहे हैं। इसके कारण केन्द्र प्रायोजित योजना एवं राज्य योजनान्तर्गत उपबंधित राशि एवं उपलब्ध राशि से उक्त आय सीमा तक के सभी छात्र/छात्राओं को शिक्षण शुल्क/देय अनिवार्य शुल्क तथा अनुरक्षण भत्ता स्वीकृत करने में कठिनाई हो रही है एवं बड़ी संख्या में उक्त आय सीमा के अन्तर्गत आने वाले अन्य पिछड़े वर्ग के छात्र/छात्रा इस योजना के लाभ से वंचित रह जाते हैं। ऐसी स्थिति में उक्त आय सीमा के अन्तर्गत आने वाले अन्य पिछड़ा वर्ग के अधिकांश छात्र/छात्राओं को प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति से लाभान्वित करने के उद्देश्य से वित्तीय वर्ष 2011–12 में विभागीय पत्रांक–50 दिनांक–21.10.11 द्वारा प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति की अधिकतम सीमा ₹ 1,00,000/– निर्धारित की गयी थी। किन्तु उक्त अधिकतम सीमा निर्धारित करने के बावजूद अन्य पिछड़े वर्ग के हजारों आवेदक वित्तीय वर्ष 2011–12 में प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति से वंचित रह गये।

अतः सम्यक् विचारोपरान्त अन्य पिछड़े वर्ग के अधिकांश छात्र/छात्राओं को प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति से लाभान्वित करने हेतु राज्य सरकार द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति की अधिकतम सीमा निम्न प्रकार निर्धारित करने का निर्णय लिया गया है:–

(1) अन्य पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत शिक्षण शुल्क/देय अनिवार्य शुल्क की राशि की अधिकतम सीमाः–	वार्षिक अधिकतम ₹ 75,000/– (रूपये पचहत्तर हजार) या देय अनिवार्य शुल्क (दोनो में जो कम हो)

शिक्षण शुल्क/देय अनिवार्य शुल्क के अतिरिक्त अन्य पिछड़े वर्ग के छात्र/छात्राओं को भारत सरकर, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के दिशा–निर्देश के आलोक में कोर्स के आधार पर दिनांक–01.07.11 के प्रभाव से पुनरीक्षित अनुमान्य अनुरक्षण भत्ता देय होगा।

निदेश है कि किसी भी परिस्थिति में अन्य पिछड़े वर्ग के छात्र/छात्राओं को प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत अधिकतम वार्षिक अधिसीमा ₹ 75,000/– (रूपये पचहत्तर हजार) से अधिक राशि की स्वीकृति/भुगतान नहीं किया जाय।

तद्नुसार इस संबंध में पूर्व में निर्गत विभागीय पत्रांक–50 दिनांक–21.10.2011 को निरस्त किया जाता है।

विश्वासभाजन,

16/1/13

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक– पि0व0 / छात्रवृत्ति–35–18 / 11– 89 पटना–15, दिनांक– 17-1-13

प्रतिलिपि– सभी जिला पदाधिकारी / सभी उप विकास आयुक्त / सभी प्रमण्डलीय उप निदेशक कल्याण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

16/1/13

सरकार के सचिव।